

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 224/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/01188

दायर दिनांक :- 03.12.2019

निर्णय दिनांक :- 03.01.2025

01. इमरता पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. पेमाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

01. कालूराम पुत्र फूसाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. ताराराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. हदाराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. हिम्मताराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. मुकेश पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. अमलखराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. रामचन्द्र पुत्र लीलाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा बारू सिंहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
09. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955



- उपस्थित :- 1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 595/988 रकबा 89-06 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 5-06 बीघा, खसरा नम्बर 639 रकबा 0-04 बीघा, खसरा नम्बर 640 रकबा 196-08 बीघा कुल रकबा 291-04 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 595/988 रकबा 89-06 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 5-06 बीघा, खसरा नम्बर 639 रकबा 0-04 बीघा, खसरा नम्बर 640 रकबा 196-08 बीघा कुल रकबा 291-04 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा

A
03.01.25
राजस्थान कलेक्टर
बाप (फलोदी)

विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझा है।



क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 595/988 रकबा 14.4553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.8579 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640 रकबा 31.7921 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

| क्र. सं. | पक्षकारान् का नाम | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | रकबा/हैक्टेयर | किस्म |
|----------|--|--------------|------------------------------|---|-------|
| 1 | इमरताराम पि. हुकमाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | टेकरा | 640 595/988 | 8.1706 हैक्टेयर 3.6138 हैक्टेयर | बी-4 |
| 2 | पेमाराम पि. हुक्माराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | टेकरा | 640 595/988 | 8.1706 हैक्टेयर 3.6138 हैक्टेयर | बी-4 |
| 3 | अमलखराम 1/15 हिस्सा, ताराराम 1/15 हिस्सा, मुकेश 1/15 हिस्सा, हदाराम 1/15 हिस्सा, हिमताराम 1/15 हिस्सा पि. भेराराम, कालूराम पि. फूसाराम 1/3 हिस्सा (खसरा नम्बर 639 बिना रहन) रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलोदी कालूराम का हिस्सा। रामचन्द्र पि. लीलाराम 1/3 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा। नोट: 14 से दिनांक 18.10.2024 सभी खसरां पर मुकेश पि. भेराराम के हिस्से पर न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के मु. नं. 360/2013 से स्थगन नोट लगा हुआ है। | टेकरा | 595/988 638 639 640 | 7.2277 हैक्टेयर 0.8579 हैक्टेयर 0.0324 हैक्टेयर 15.4509 हैक्टेयर | बी-4 |

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नोट:- माननीय अपर न्यायालय एवं सेशन न्यायाधीश पोकरण में लंबित फौजदार विविध प्रकरण संख्या 40/2024 के निर्देश व तहसीलदार बाप के आदेश/राजस्व/2024/834 दिनांक 11.07.2024 की पालना में ताराराम पि. भेराराम का हिस्सा कुर्क किया गया।

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



03.01.25
(सुखाराम पिण्डेल आर.एस.)
सहायक जिल्हाधिकारी कलकटर एवं
पत्रावली फंड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. इमरता पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. पैमाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

01. कालूराम पुत्र फूसाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. ताराराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. हदाराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. हिम्मताराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. मुकेश पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. अमलखराम पुत्र भैराराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. रामचन्द्र पुत्र लीलाराम जाति मेगवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा बारू सिंहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 224/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर विजय तंवर मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 595/988 रकबा 14.4553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.8579 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640 रकबा 31.7921 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

| क्र. सं. | पक्षकारान् का नाम | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | रकबा/हैक्टेयर | किस्म |
|----------|--|--------------|------------------------------|---|-------|
| 1 | इमरताराम पि. हुकमाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | टेकरा | 640 595/988 | 8.1706 हैक्टेयर 3.6138 हैक्टेयर | बी-4 |
| 2 | पैमाराम पि. हुकमाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | टेकरा | 640 595/988 | 8.1706 हैक्टेयर 3.6138 हैक्टेयर | बी-4 |
| 3 | अमलखराम 1/15 हिस्सा, ताराराम 1/15 हिस्सा, मुकेश 1/15 हिस्सा, हदाराम 1/15 हिस्सा, हिमताराम 1/15 हिस्सा पि. भैराराम, कालूराम पि. फूसाराम 1/3 हिस्सा (खसरा नम्बर 639 बिना रहन) रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलोदी कालूराम का हिस्सा। रामचन्द्र पि. लीलाराम 1/3 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिंहड़ा। नोट: 14 से दिनांक 18.10.2024 सभी खसरां पर मुकेश पि. भैराराम के हिस्से पर न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के मु. नं. 360/2013 से स्थगन नोट लगा हुआ है। | टेकरा | 595/988 638 639 640 | 7.2277 हैक्टेयर 0.8579 हैक्टेयर 0.0324 हैक्टेयर 15.4509 हैक्टेयर | बी-4 |

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

नोट:- माननीय अपर न्यायालय एवं सेशन न्यायाधीश पोकरण में लंबित फौजदार विविध पोकरण संख्या 40/2024 के निर्देश व तहसीलदार बाप के आदेश/राजस्व/2024/834 दिनांक 11.07.2024 की पालना में ताराराम पि. भेराराम का हिस्सा कुर्क किया गया।

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2025 को जारी की गई।



(सुखाराम मिहल R.A.S.)
 सहायक कलेक्टर
 बाप (फलोदी)
 03-01-25

| मुदई | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|--|------|--|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान | | स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान | | |

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।